

कार्यालय, जिला पंचायत- जशपुर (छ.ग.)  
(महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ)



क्रमांक/840

/MGNREGA/स्था./2016

जशपुर दिनांक 24/12/16

प्रति,

श्री शिवमोहन राम/श्री इंजीत राम  
गा- चांपाटोली, पो- सिंदेंगा  
तह- दुलदुला, जिला- जशपुर

विषय :- कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु उपस्थित होने बाबत सूचना।

—00—

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि आपके द्वारा जिला पंचायत-जशपुर में ..... मेखापाल ..... पद की नियुक्ति हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आवेदन किया गया है। उक्त पद के चयन हेतु दिनांक ..... 05/01/2017 ..... को ..... 11:00 ..... बजे से जिला पंचायत-जशपुर में कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जावेगा।

अतः आप उक्त तिथि को नियत स्थल एवं समय पर अपने मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें, साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन के साथ प्रोविजनल प्रमाण पत्र संलग्न किया था, विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंकसूची की मूल व छायाप्रति अवश्य लेकर आवें। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आपको स्वयं के व्यय पर इस कार्यालय में उपस्थित होना होगा, इसके लिये कार्यालय से किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत-जशपुर (छ.ग.)



प्रति,

श्री फणिसुकर नाथ सिंह / श्री करमू राम भगत  
ग्राम - रनपुर, पो - रनपुर, तह - बगीचा  
जिला - जशपुर (छ.ग.)

विषय :- कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु उपस्थित होने बाबत सूचना।

—00—

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि आपके द्वारा जिला पंचायत-जशपुर में लेखापाल पद की नियुक्ति हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आवेदन किया गया है। उक्त पद के चयन हेतु दिनांक 05/01/2017 को 11:00 बजे से जिला पंचायत-जशपुर में कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जावेगा।

अतः आप उक्त तिथि को नियत स्थल एवं समय पर अपने मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें, साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन के साथ प्रोविजनल प्रमाण पत्र संलग्न किया था, विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंकसूची की मूल व छायाप्रति अवश्य लेकर आवें। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आपको स्वयं के व्यय पर इस कार्यालय में उपस्थित होना होगा, इसके लिये कार्यालय से किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत-जशपुर (छ.ग.)

